HEAD OFFICE

UTTARAKHAND ENVIRONMENT PROTECTION &
POLLUTION CONTROL BOARD
29/20 NEMI ROAD, DALANWALA , DEHRADUN (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20 नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)

Phone: 0135-2658086, Fax: 0135-2718092 Web: www.ueppcb.uk.gov.in

UEPPCB/HO/Gen-76A/Vol-II/ 5725-943, Dated: 27/10/18

To,

The Chairman,
Central Pollution Control Board,
(Ministry of Environment And Forests)
Government of India, 'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar
Delhi- 1100032

Sub:- Submission of Annual Report 2017-18 on Plastic Waste Management Rules, 2016 reg.

Sir,

With reference to the above mentioned subject, the Annual Report for the year 2017-18 on Plastic Waste Management Rules, 2016 is enclosed for your kind perusal please.

Enclosures: as above

Yours faithfully,

(S.P. Subudhi)
Member Secretary

Scanned by CamScanner

Form-VI

STATE-WISE STATUS OF IMPLEMENTATION OF PLASTIC WASTE MANAGEMENT RULES, 2016 FOR THE YEAR 2017-18

ANNUAL REPORT FORMAT

Name of the SPCB of PCC	Estimated Plastic Waste Generation Tons Per Annum (TPA)	No. Of registered Plastic Manufacturing or Recycling (including multilayer, compostable) units. (Rule-9)			No. Of Unregistered plastic manufacturing Recycling units. (in residential or unapproved areas)	Details of Plastic Waste Management (PWM) e.g. Collection, Segregation, Disposal (Co-processing road construction etc.) (Rules 6) (Attach separate sheet)	Partial or complete ban on usages of Plastic Carry Bags (through Executive Order) (Attach copy notification or executive order)	Status of Marking Labelling on carry bags (Rule 8) (Specify the number of units or not complied) complied	Explicit Pricing of carry bags (Rule 10)	Details of the meeting of State Level Advisory Body (SLA) along with its recommendations on Implementation (Rule 11)	No. Of violations and action taken on non-compliance of provisions of these Rules	Number of Municipal Authority or Gram Panchayat under jurisdiction and Submission of Annual Report to CPCB (Rule 12)
		Plastic units	Compostable Plastic Units	Multilayer Plastic units								
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board	No detail submitted by ULB'S	255	Nil	16	14	No data available	The copy of order dated 25/01/2017 enclosed **(Annexure-1)**	No detail	No detail	Meeting conducted and the minutes of meeting are enclosed **(Annexure-2)**	Letter of direction for compliance of PWM rule 2016 given to 26 units **(Annexure-3)**	101

Scanned by CamScanner

Annexure-1

संख्या– 88 /X–3–17–13(11)/2001

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकरी, उत्तराखण्ड।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत उत्तराखण्ड।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3

देहरादून : दिनांक:– 25 जनवरी, 2017

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट पिटिशन संख्या–140/2015 ललित मिगलानी बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा Writ Petition (PIL) संख्या 140/2015 श्री ललित मिगलानी बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य में निम्न आदेश पारित किये गये हैं:–

It is further directed that there shall be a total ban of sale, use and storage of plastic carry bags throughout the State of Uttarakhand w.e.f. 01.01.2017. No person shall be permitted to bring carry bags in the State of Uttarakhand by any means of transport, including the bus, trains and air. The State Governemnt shall launch a special campaign to make the people aware to use paper or jute bags to save the environment.

2– उक्त के संबंध में जारी शासनादेश संख्या–48/X–3–17–13(11)/2001, दिनांक 11 जनवरी, 2017 को अतिक्रमित करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है :–

1 सम्पूर्ण प्रदेश में किसी भी प्रकार के Plastic/Thermacol से बनी थैलियों, पत्तल, ग्लास, कप, पैकिंग सामग्री इत्यादि का उपयोग, विक्रय एवं भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतयः प्रतिबंधित होगा।

2 किसी भी व्यक्ति/यात्री को उत्तराखण्ड राज्य में प्लास्टिक/पॉलीथिन कैरी बैग्स/थैली किसी भी परिवहन यथा-बस, रेल, हवाई आदि माध्यम से लाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

3 इस संबंध में जनता को जागरूक किये जाने हेतु समस्त व्यवसायिक संस्थानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, धार्मिक स्थल, होटलों, ढाबों, धर्मशालाओं, आश्रमां, गेस्ट हाउस, स्कूल व समस्त सरकारी कार्यालयों में विज्ञप्ति (प्रिन्ट/इलैक्ट्रानिक मीडिया) द्वारा, लाउड स्पीकर्स/नुक्कड़ बैठकों/नाटकों आदि द्वारा आम जनता को संदेश देकर जन सामान्य से सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

4 उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित से रू0 5000/– का अर्थ दण्ड वसूला जायेगा।

5 उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु निम्न अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सक्षम अधिकारी नामित किये जाते हैं:

- सम्बन्धित ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र के उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

- सम्बन्धित नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी / ई0ओ नगर पालिका
- पुलिस विभाग के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के एस0एच0ओ0, सी0ओ0, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
- वन विभाग के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के वनक्षेत्राधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी
- सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी / उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

6 सम्बन्धित रेलवे स्टेशनों एवं हवाई अड्डों में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन रेलवे विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक–तदैव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव / सचिव शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव / सचिव ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाँऊ, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, नागरिक उड्यन विभाग, उत्तराखण्ड।
7. चेयरमैन, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार।
8. महाप्रबन्धक, नार्थन रेलवे (उत्तरी क्षेत्र), रेलवे विभाग।
9. महाप्रबन्धक, नार्थ ईस्टन, रेलवे विभाग।
10. महानिदेशक, सिविल एवियेशन, भारत सरकार।
11. एयरपोर्ट मैनेजर, जोली ग्राण्ट एयरपोर्ट, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव

0/c

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Annexure-2

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत सचिव शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य सलाहकार समिति (SLAB) की द्वितीय बैठक, दिनांक 04 जुलाई 2018 का कार्यवृत्त।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016 के अतर्गत सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य सलाहकार समिति की द्वितीय बैठक दिनाक 04–07–2018 को आहुत की गई। सचिव, शहरी विकारा विभाग के प्रतिनिधि के तौर पर समिति के सदस्य पदेन, श्री एस0पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया –

1. श्री एस0पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री एच0एस0 सेमवाल, अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री रामविलास, अपर सचिव, ग्राम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री वी0एस0 नेगी0 डेप्युटी रेवेन्यु कमिशनर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उत्तराखण्ड।
5. श्री एस0एस0 पाल, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
6. डा0 आर0के0 सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
7. श्री एस0सी0 सिंह, संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
8. श्रीमति गीता खुल्बे, वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
9. श्री उमेश चन्द्र राय, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।
10. श्री मेराजुद्दीन अहमद, तकनीकी विशेषज्ञ, GIZ उत्तराखण्ड।
11. श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।
12. श्री रवि शंकर बिष्ट, राज्य मिशन मैनेजर, एस0बी0एम0, नगरीय, उत्तराखण्ड।
13. श्री अविनाश पी0 सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वेस्ट वॉरिअर।
14. श्री नरेन्द्र कुमार, स्वच्छता पर्यवेक्षक, कैण्ट बोर्ड देहरादून।
15. श्री आर0पी0 चमोली, स्वच्छता निरीक्षक, कैण्ट बोर्ड, क्लेमन्टॉउन, देहरादून।

सर्वप्रथम बैठक में निदेशक, शहरी विकारा निदेशालय द्वारा सभी सम्मानित उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। इसके उपरांत उन्होंने सदन को "राज्य सलाहकार समिति" की प्रथम बैठक (14 मई 2018) में लिए गए निर्णयों के सापेक्ष कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया। तद्क्रम में "राज्य सलाहकार समिति" की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। इस दौरान की गई चर्चा में निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

1. "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम -- 2016" के नियम 15 (c) के अनुपालन के क्रम में यह निर्देशित किया गया कि पाईलट के तौर पर नगर निगम देहरादून के अंतर्गत कूड़ा बीनने वालों (Rag Pickers/Informal Waste Collectors) को औपचारिक तौर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में भागीदार बनाने हेतु रैग पिकर्स (अनुमानित संख्या 250) को पंजीकृत कर उनके लिए पहचान पत्र बनाए जाने तथा उन्हें ड्रेस उपलब्ध कराई जाऐगी। तथा इन पंजीकृत रैग पिकर्स को जैविक तथा अजैविक एवं अजैविक कूड़े के प्रकारों के बारे में जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिसका व्यय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा। पहचान पत्र का डिजाईन तथा ड्रेस के कलर कोड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम –2016

NN

Scanned by CamScanner

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत सचिव शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य सलाहकार समिति (SLAB) की द्वितीय बैठक, दिनांक 04 जुलाई 2018 का कार्यवृत्त।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016 के अंतर्गत सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य सलाहकार समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 04–07–2018 को आहुत की गई। सचिव, शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि के तौर पर समिति के सदस्य पदेन, श्री एस0पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया –

1. श्री एस0पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री एच0एस0 सेमवाल, अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री रामविलास, अपर सचिव, ग्राम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री बी0एस0 नेगी0 डेप्युटी रेवेन्यु कमिशनर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उत्तराखण्ड।
5. श्री एस0एस0 पाल, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
6. डा0 आर0के0 सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
7. श्री एस0सी0 सिंह, संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
8. श्रीमति गीता खुल्बे, वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
9. श्री उमेश चन्द्र राय, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।
10. श्री मेराजुद्दीन अहमद, तकनीकी विशेषज्ञ, GIZ उत्तराखण्ड।
11. श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।
12. श्री रवि शंकर बिष्ट, राज्य मिशन मैनेजर, एस0बी0एम0, नगरीय, उत्तराखण्ड।
13. श्री अविनाश पी0 सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वेस्ट वॉरिअर।
14. श्री नरेन्द्र कुमार, स्वच्छता पर्यवेक्षक, कैण्ट बोर्ड देहरादून।
15. श्री आर0पी0 चमोली, स्वच्छता निरीक्षक, कैण्ट बोर्ड, क्लेमन्टॉउन, देहरादून।

सर्वप्रथम बैठक में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा सभी सम्मानित उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। इसके उपरांत उन्होंने सदन को "राज्य सलाहकार समिति" की प्रथम बैठक (14 मई 2018) में लिए गए निर्णयों के सापेक्ष कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया। तद्क्रम में "राज्य सलाहकार समिति" की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। इस दौरान की गई चर्चा में निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

1. "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016" के नियम 15 (c) के अनुपालन के क्रम में यह निर्देशित किया गया कि पाईलट के तौर पर नगर निगम देहरादून के अंतर्गत कूड़ा बीनने वालों (Rag Pickers/Informal Waste Collectors) को औपचारिक तौर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में भागीदार बनाने हेतु रैग पिकर्स (अनुमानित संख्या 250) को पंजीकृत कर उनके लिए पहचान पत्र बनाए जाने तथा उन्हें ड्रेस उपलब्ध कराई जाऐगी। तथा इन पंजीकृत रैग पिकर्स को जैविक तथा अजैविक एवं अजैविक कूड़े के प्रकारों के बारे में जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिसका व्यय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा। पहचान पत्र का डिजाईन तथा इस के कलर कोड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम –2016

Scanned by CamScanner

द्वारा निर्धारित कलर कोड हरे तथा नीले रंग का युग्म) का प्रस्ताव तैयार कर 15 जुलाई तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाए।

इसी प्रकार पाईलट के तौर पर 20 जुलाई तक नगर निगम देहरादून के अंतर्गत समस्त कबाड़ी वालों (Scrap Dealers) का भी पंजीकरण किया जाए तथा उनके लिए नियम तथा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए जाएं।

कार्यवाही – नगर निगम देहरादून, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

2. अधीक्षण अभियंता, श0वि0नि0 द्वारा अवगत कराया गया कि, पूर्व में निर्मित Urban Municipal Waste Management Action Plan for State of Uttarakhand - 2015 को ठोस अपशिष्ट नियम – 2016 के प्रावधानों के अनुसार GIZ के तकनीकी सहयोग से तैयार किया गया। कार्ययोजना को अंतिम रूप देने हेतु निदेशालय द्वारा राज्य के समस्त निकायों तथा समस्त जिलाधिकारियों को (क्रमशः 05 तथा 11 सितम्बर 2017 को) सुझाव/आपत्ति हेतु प्रेषित किया गया। साथ ही आम नागरिकों से सुझाव/आपत्ति हेतु सूचना दिनांक 12 सितम्बर, 2017 को तीन दैनिक समाचार पत्रों में 21 दिनों का समय देते हुए प्रकाशित की गई थी। जिसके क्रम में प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए निदेशालय स्तर पर इसे अंतिम रूप देते हुए तैयार कर शासन को दिनांक 01 नवम्बर, 2017 को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। यह भी अवगत कराया गया कि राज्य सलाहकार समिति की प्रथम बैठक के निर्देश के क्रम में उक्त योजना की सॉफ्ट कॉपी ई–मेल के माध्यम से 19 मई, 2018 को संबंधित विभागों को प्रेषित कर दी गई थी। GIZ के तकनीकी विशेषज्ञ श्री मेराजुद्दीन अहमद द्वारा " SOLID Waste Management Action Plan for State of Uttarakhand - 2017 " में किये गये संशोधनों की संक्षिप्त रूपरेखा राज्य सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। विचार–विमर्श उपरान्त समिति द्वारा "राज्य ठोस अपिशिष्ट प्रबंधन योजना –2017" को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

इस क्रम में शहरी विकास निदेशालय द्वारा "राज्य ठोस अपिशिष्ट प्रबंधन योजना –2017" के नोटिफिकेशन हेतु शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन से तत्काल अनुरोध कर लिया जाय।

कार्यवाही – शहरी विकास निदेशालय/शासन।

3. "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016" के नियम 17 के अनुपालन के क्रम में, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ई0पी0आर0 (Extended Producer's Responsiblities) के माध्यम से रिवॉल्विंग फण्ड जुटाने के लिए उद्योगों से समन्वय करने हेतु निदेशक, शहरी विकास निदेशालय की अध्यक्षता में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, GIZ तथा नगर निगम, देहरादून के एक–एक प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर एक उप समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही – शहरी विकास निदेशालय।

4. शहरी विकास निदेशालय एवं राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से 02 राज्य स्तरीय कार्यशालाएं क्रमशः गढ़वाल मण्डल हेतु देहरादून में 15 सितम्बर, 2018 तक तथा कुमाउं मण्डल हेतु नवम्बर, 2018 तक आयोजित की जाएंगी। कार्यशालाओं का व्यय राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

ठोस अपशिष्ट प्रवन्धन हेतु निस्तारण स्थल की भूमि चिन्हीकरण एवं हस्तान्तरण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्य सचिव, नोडल अधिकारी, एस0डब्लू0एम0 तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा कुमाउं तथा गढ़वाल मण्डल के स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रवन्धन हेतु वन भूमि प्राप्त करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों/ऑनलाईन तथा ऑफलाईन आवेदन तथा अन्य तकनीकी विषयों पर जानकारी प्रदान किए जाने की आवश्यकता चिन्हित की गई। ताकि निकायों के आवेदन पत्रों में आपत्ति लगने तथा उनके निस्तारण में होने वाले विलम्ब को कम किया। अतः उपरोक्त कार्यशालाओं के एक सत्र के तौर पर भूमि अधिग्रहण/अधिप्राप्त किए जाने संबंधी विषय को भी समाहित किया जाएगा।

कार्यशाला आयोजन का दायित्व स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), GIZ, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा नगर निगम, देहरादून से कुल 05 सदस्यों की टीम की होगी।

कार्यवाही – शहरी विकास निदेशालय, तथा वन विभाग एवं राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।

5. राज्य सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक में राज्य नोडल अधिकारी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं अधीक्षण अभियंता, श0वि0नि0 तथा एस0बी0एम0 सेल द्वारा पिछली बैठक के निर्णयों के सापेक्ष की गई कार्यवाहियों तथा ठोस अपशिष्ट प्रवंधन गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियों के सुचारू संचालन में बाधक बन रही अथवा सीमाओं का वर्णन किया जाएगा। ताकि राज्य स्तरीय सलाहकार समिति स्तर से उक्त हेतु उपयुक्त समाधान पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए जा सके।

कार्यवाही – शहरी विकास निदेशालय।

6. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (Construction and Demolition Waste) के निपटान हेतु नगर के लो–लाईंग क्षेत्रों में विशेष क्षेत्र चिन्हित किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में नगर निगम देहरादून अंतर्गत लो–लेईंग क्षेत्रों में विशेष क्षेत्र चिन्हित किए जाएं। जहां पर आम नागरिकों द्वारा सी0एण्ड डी0 वेस्ट का निपटान किया जा सकेगा। उक्त के क्रम में प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों को भी निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही– नगर निगम, देहरादून।

7. समिति सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि "ठोस अपशिष्ट प्रवंधन नियम – 2016" के नियम 4 (7) के अनुसार गेटेड कॉलोनी, आर0डब्ल्यु0ए0, होटल, तथा निजी एवं सरकारी संस्थान द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक किया जाना है तथा जैव अपशिष्ट को जहां तक सम्भव हो सके परिसर के भीतर ही संसाधित, उपचारित तथा कम्पोस्ट किया जाना प्रावधानित है। इस क्रम में शहरी विकास निदेशालय स्तर से सम्बंधित निकायों को उक्त नियमों के अनुपालनार्थ समन्वय किया जाऐगा। नगर निगम, देहरादून अन्तर्गत नागरिकों को घर से ही कूड़ा पृथक्करण हेतु जागरूक करने के लिए 03 माह का सघन एवं चरणबद्ध अभियान क्षेत्र निर्धारित कर चलाया जाएगा।

नगर निगम, देहरादून द्वारा सूचना दी गयी की गार्डन वेस्ट से कम्पोस्ट बनाने हेतु विभिन्न स्थानों पर 200 किलो/– की क्षमता के 67 इंक्लोजर बनाये गये हैं। जिसे 31 अगस्त, 2018 तक बढाकर 250

Scanned by CamScanner

12. नोडल अधिकारी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016" के नियम 4 के अनुसार प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक को अपशिष्ट प्रबंधन में भागीदार बनया गया है। अतः शहरी विकास विभाग तथा अधिनस्थ स्थानीय निकायों के साथ–साथ प्रदेश के अन्य समस्त शासकीय विभागों को भी कम से कम अपने परिसरों में इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी अवगत कराया कि स्वच्छता दरअसल मानवीय व्यवहार का भी हिस्सा है। अतः स्वच्छता के प्रति व्यवहार परिवर्तन पर स्वयं मा० प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भी जोर दिया जाता रहा है।

तद्क्रम में निर्णय लिया गया कि राज्य के समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थानों/कार्यालयों द्वारा अपने परिसर तथा उनके आस पास प्रत्येक माह में कम से कम एक विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया जाए। परिसर के भीतर उत्पादित होने वाले जैविक कचरे से कम्पोस्टिंग की जाए तथा रिसायकल हो सकने वाले कचरे को निकाय अथवा अन्य को हस्तगत किया जाए।

कार्यवाही – शहरी विकास निदेशालय।

13. नोडल अधिकारी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिकों, चिकित्सकों आदि के संस्थानों द्वारा बहुधा नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित कर दिए जाते हैं। इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु, जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन नियम, 2016) के अनुसार विहित प्राधिकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महानिदेशक, स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड को निर्देशित किए जाने की आवश्यकता है।

तद्क्रम में विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में ना मिलाए जाने तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय करते हुए कार्यवाही की जाएगी।

कार्यवाही – राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड।

अंत में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा सभी सम्मानित उपस्थित प्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

(भूपाल सिंह मनराल)
निदेशक।

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड
31/62, राजपुर रोड, देहरादून
संख्या –[illegible] 326/SBM/SLAB/2018–19
दिनांक–[illegible] जुलाई, 2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

Scanned by CamScanner

Annexure-3

UTTARAKHAND ENVIRONMENT PROTECTION &
POLLUTION CONTROL BOARD
29/20, Nemi Road,Dalanwala, Dehradun
(Uttarakhand)
Phone: (0135) 2658086; Fax: (0135) 2718092; E-mail: msukpcb@yahoo.com; Web: www.ueppcb.uk.gov.in

HEAD OFFICE

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)

Ref: UEPPCB/HO/ Gen-76 (31)(Vol-II)/ 2018/ 4222-706 August, 2018 01/09/18

To,

List enclosed
(1-7)
Distt- U.S.Nagar.

Subject :- Compliance of Plastic Waste (Management and Handling) Rules-2016 – reg.

Sir,

As you are aware that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India has promulgated Plastic Waste Management Rules, 2016 on 18 March, 2016 under Environment (Protection) Act, 1986.

As per Rule-9 of the Plastic Waste Management Rules, 2016, the responsibilities of producers, importers and brand owners are defined as stated below and every producers, importers and brand owners shall comply with :-

1. The producers, within a period of six months from the date of publication of these rules, shall work out modalities for waste collection system based on Extended Producers Responsibility and involving State Urban Development Departments, either individually or collectively, through their own distribution channel or through the local body concerned.
2. Primary responsibility for collection of used multi-layered plastic sachet or pouches or packaging is of Producers, Importers and Brand Owners who introduce the products in the market. They need to establish a system for collecting back the plastic waste generated due to their products. This plan of collection to be submitted to the State Pollution Control Boards while applying for Consent to Establish or Operate or Renewal. The Brand Owners whose consent has been renewed before the notification of these rules shall submit such plan within one year from the date of notification of these rules and implement with two years thereafter.
3. Manufacturer and use of non recyclable multilayered plastic if any should be phased out in two years time.
4. The producer, within a period of three months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette shall apply to the Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, of the States or the Union Territories administration concerned, for grant of registration.
5. No producer shall on and after the expiry of a period of six months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette manufacture or use any plastic or multilayered packaging for packaging of commodities without registration from the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committees.

Cont P/-

Scanned by CamScanner

6. Every producer shall maintain a record of details of the person engage... supply of plastic used as raw material to manufacture carry bags or pla... sheet or like or cover made of plastic sheet or multilayered packaging.

In this regard, you are directed to submit the detail action plan for compliance of the points mentioned above within two weeks from the date of receipt of this letter.

Yours faithfully

(S.P. Subudhi)
Member Secretary

Copy to :- Regional Officer, UEPPCB, Regional Office, Kashipur, Distt-U.S.Nagar for information and compliance.

Member Secretary

Scanned by CamScanner

HEAD OFFICE

UTTARAKHAND ENVIRONMENT PROTECTION & POLLUTION CONTROL BOARD
29/20, Nemi Road,Dalanwala, Dehradun
(Uttarakhand)

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)

Phone: (0135) 2658086; Fax: (0135) 2718092; E-mail: msukpcb@yahoo.com; Web: www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UEPPCB/HO/ Gen-76 (अ)(Vol-II)/ 2018/ 4221-705, August, 2018
01/9/18.

To,

List enclosed
(1-19)
Distt- Haridwar.

Subject :- Compliance of Plastic Waste (Management and Handling) Rules-2016 – reg.

Sir,

As you are aware that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India has promulgated Plastic Waste Management Rules, 2016 on 18 March, 2016 under Environment (Protection) Act, 1986.

As per Rule-9 of the Plastic Waste Management Rules, 2016, the responsibilities of producers, importers and brand owners are defined as stated below and every producers, importers and brand owners shall comply with :-

1. The producers, within a period of six months from the date of publication of these rules, shall work out modalities for waste collection system based on Extended Producers Responsibility and involving State Urban Development Departments, either individually or collectively, through their own distribution channel or through the local body concerned.
2. Primary responsibility for collection of used multi-layered plastic sachet or pouches or packaging is of Producers, Importers and Brand Owners who introduce the products in the market. They need to establish a system for collecting back the plastic waste generated due to their products. This plan of collection to be submitted to the State Pollution Control Boards while applying for Consent to Establish or Operate or Renewal. The Brand Owners whose consent has been renewed before the notification of these rules shall submit such plan within one year from the date of notification of these rules and implement with two years thereafter.
3. Manufacturer and use of non recyclable multilayered plastic if any should be phased out in two years time.
4. The producer, within a period of three months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette shall apply to the Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, of the States or the Union Territories administration concerned, for grant of registration.
5. No producer shall on and after the expiry of a period of Six months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette manufacture or use any plastic or multilayered packaging for packaging of commodities without registration from the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committees.

....Cont..Page-2

Scanned by CamScanner

Every producer shall maintain a record of details of the person en... supply of plastic used as raw material to manufacture carry bags or ... sheet or like or cover made of plastic sheet or multilayered packaging.

In this regard, you are directed to submit the detail action plan ... compliance of the points mentioned above within two weeks from the date of receipt of this letter.

Yours faithfully

(S.P. Subudhi)
Member Secretary

Copy to :- Regional Officer, UEPPCB, Regional Office, Roorkee, Distt-Haridwar for information and compliance.

Member Secretary

Scanned by CamScanner